

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 516] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 1983/ कार्तिक 27, 1905
No. 516] NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 18, 1983/KARTIKA 27, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1983

क्रा. सं. 824(अ) :—केन्द्रीय सरकार, आदर्शक वस्तु अधिनियम, 1955
(1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश
देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (व) और (च)
के अधीन आदेश देने की शक्ति का प्रयोग, इससे उपाखण्ड अनुसूची में विनिर्दिष्ट
कभी भी किस्म के पशु चारे के संबंध में, तमिलनाडु राज्य की सरकार भी उस
राज्य में करेगी।

2. यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली और 31 जनवरी, 1984 तक समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

1. चावल डंठल
2. कुम्भू की भूसी
3. रागी और चोलम की भूसी
4. चावल चोकर
5. गेहूं चोकर, और
6. विटर्गिल चावल चोकर

[सं. 32-1/83-एल.डो -2]
पी. एस. कोहली, अपर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 18th November, 1983

S.O. 824(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the power to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of section 3 of the said Act shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Tamil Nadu in that State.

This Order shall remain in force for the period commencing from the date of its publication in the Gazette of India and ending with the 31st day of January, 1984.

SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

1. Paddy straw
2. Hay of cumbu

-
3. Hay of ragi and cholan
 4. Rice bran
 5. Wheat bran, and
 6. Deoiled rice bran

[No. 32-1|83-LDII]

P. S. KOHLI, Additional Secy.

